

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

इल्लंभ शक्ति शोपाल-462004

क्रमांक-संख्या-73- 56 /2007/20-3

शोपाल, दिनांक


प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
पुरी बिहार, नई दिल्ली।


विषय:- अशाक्तिय तंत्या - अंजड बड़िलक हाथर तेकेण्डुरी स्कूल जिला बहुबानी
को ती. ए. स्ट. ई /आई ती. स्ट. ई नई दिल्ली ते तम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाप पत्र देने बाब्त !

राज्य शासने द्वारा अशाक्तिय तंत्या अंजड बड़िलक हाथर तेकेण्डुरी स्कूल
जिला बहुबानी को ती. ए. स्ट. ई /आई ती. स्ट. ई, नई दिल्ली ते तम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाप पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

- प्रदेश में शिक्षण की जो संत्यारें तथापित हो सकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों सर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु तंत्या की कार्यकारिषी में म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जायेगा।
- विभिन्न ऊर्जारों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक सर्व खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मेदान छात्राचात्र भवन रुक्षित आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगे। इस हेतु तंत्या ते वचन पत्र लिखाया जायेगा।
- इस तंत्याज्ञों के तंत्रालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संत्या का निरीधिष्ठ/जांच करने का अधिकार होगा।


निरन्तर 2 पर

४. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड ते सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनात्मक द्वारा सम्य-समय पर शिक्षा के प्रबंध सवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का व्यवस्था ते प्राप्त किया जायेगा ।
५. संत्था की प्रबंध कारिषी समिति में म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग वा स्कूल प्रतिनिधि कार्यकारिषी समिति में सम्मति करना अनिवार्य होगा ।
६. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांत्कृतिक आयोजनों, विद्यान मेला वा आयोजन आदि में सहायोग सवं सार्थक भूमिका प्रदान करेगे ।
७. अज्ञातकीय शिक्षण संथाओं द्वारा प्रदेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकारित किये जायेगे । शिक्षण प्रूफ लेने में पालकों का इष्टप नहीं किया जायेगा ।
८. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके सवं लेखन सामग्री छुनी बाजार ते क्रय करने की सुविधा रहेगी । किंतु दुकान विशेष ते क्रय करने की व्यवस्था नहीं रहेगी ।
९. शिक्षण संथाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुतार क्रियान्वील अग्नि शमन दंत्रों वी आक्षयक रूप ते व्यवस्था होगी तथा इन संबंध में भारत सरकार द्वारा ऐधिक संवादों के संबंध में सम्य-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
१०. संस्था के छात्रों को उनके निवास ते क्रियालय तक लाने सवं वापिस निवास तक भेजने के लिये दरिवान विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त सवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि ते इन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किंतु भी सेते ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू स्ल. पी. डी. आदि ते संचालित नहीं किया जायेगा ।



निर्देशन

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से हन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापूर्ति प्रमाप-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के दृस्तकालय में जाति संबंध धर्म के आधार पर ऐद-भाव तथा राम्बदापिका को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम है
तथा आदेशानुसार

| र. स. प. म. |

अदर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

२०५०-सं-७३- ५६ /२००८/२०-३

भोपाल, दिनांक २१/१०८

प्रतिलिपि:-

1. आदूक्त, लोक विकास संचालनालय, म. प्र. भोपाल।
2. जिला नियुक्त उपाधिकारी, जिला बड़दानी - - - - -
3. शायद, अनादिकीष शिक्षण संघ, अंगड घट्टलक हाथर लेकेण्डरी स्कूल - - - - -
4. आईर छुक।

ही ओर सूचनार्थ संबंध आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित।

अदर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग